आज्ञा या कार्यवाही	136/21 आज्ञा विस्तृत रूप से	छीतर 2021/212
7/9/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 27/9/24 को पेश हो।	
27/9/24	पत्रावली पेश है। नकल पत्रावली व नकल पत्रावली सं. 1 एवं पत्रावली व पत्रावली अधिकृत की पार्ट-2 आवश्यक लगवाई न्यायालय [illegible] तक उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं पत्रावली का गुण दोष आज हाजरी आज पेशी में सारिक क्रिया - [illegible] फैसल शुमार होकर उनी [illegible] से फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:00:00 IST
Reason: SelfAttested

Reader

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या.....136../2021

1. हीरालाल पुत्र बद्रीनारायण
2. बाबूलाल पुत्र बद्रीनारायण

जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम –सुखपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. छीतर पुत्र लादू
2. शंकर पुत्र लादू
3. सूजीलाल पुत्र बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम –सुखपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रार्थी ने एक दावा आज मजबूत आधारो पर मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है।
2. यह कि ग्राम मोहनपूरा उर्फ महाराजपुरा पटवार हल्का मोहनपुरा भु.अभि. नि. वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में आराजी कृषि भूमि खसरा नं. 699 रकबा 0.06 हैक्टेयर स्थित है जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम हिस्सा 1/4 द है जो विवादित है।
3. कि खसरा नं. 699 की खातेदारी अप्रार्थी सख्या 1 व 2 के न हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसका विक्रय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय

हीरालाल बाबू